

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3661
11.08.2025 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विशेष सहायता

3661. श्री के. गोपीनाथः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पूंजी निवेश हेतु किसी विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में जलवायु-रोधी जिलों और गांवों के लिए विशेषरूप से जमीनी स्तर पर जलवायु संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समय-सीमा क्या है, और
- (घ) सरकार द्वारा जलवायु-अनुकूल और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील विकास में निवेश करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसमें टिकाऊ बुनियादी ढाँचा भी शामिल है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सरकार ने गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य में क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण हेतु 2024-25 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 1126.08 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) का अनुरोध किया था। प्रस्ताव और पात्रता की जाँच के बाद, 1121.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और मार्च 2025 में तमिलनाडु राज्य सरकार को यह राशि जारी कर दी गई।

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार को जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) के अंतर्गत दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान की गई है। परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	मंजूर की गई अनुदान सहायता (करोड़ रु.)	जारी किया गया अनुदान	निष्पादन एकक	परियोजना की अवधि
1	मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और संधारणीय आजीविकाओं के लिए तटीय पर्यावासों और जैव-विविधता का प्रबंधन और पुनर्वासन	24.74	23.03	पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार	4 वर्ष (अप्रैल 2016-अप्रैल 2020)
2	तमिलनाडु के सेलम और विरुधुनगर जिलों में वर्षा जलग्रहण क्षेत्रों में जलवायु प्रूफिंग	23.80	11.52	तमिलनाडु जलग्रहण विकास एजेंसी	फरवरी 2019-मार्च 2026

विभिन्न क्षेत्रों में भारत की जलवायु संबंधी गतिविधियाँ विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में अंतर्निहित हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) सभी जलवायु कार्यों के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान करती है और इसमें सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, सतत पर्यावास, जल, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हरित भारत, सतत कृषि, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। इन सभी मिशनों को उनके संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा संस्थागत रूप दिया और कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें उनके वार्षिक बजटीय आवंटन के एक भाग के रूप में उनकी संबंधित योजनाओं के अंतर्गत धन का आवंटन भी शामिल है।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तमिलनाडु सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं (एसएपीसीसी) का समर्थन कर रहा है। एसएपीसीसी को जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों के उचित शमन और अनुकूलन उपायों के माध्यम से निपटान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक राज्य की विभिन्न पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसएपीसीसी का उद्देश्य संदर्भ-विशिष्ट होना है।
